

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
राजस्थान-बीकानेर
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग
20 JAN जयपुर. दिनांक 17-1-2014
प्राशि/निजी

क्रमांक : प. 21(19)प्राशि/आयो./2009

समस्त जिला कलक्टरसं,
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,
समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषय : इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के स्पष्टीकरण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (स) के प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों को कक्षा 1 में प्रवेश देने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालको को प्रवेश देना बाध्यकारी होगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई निजी विद्यालय, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं, संचालित करता है तो पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु भी कम से कम 25% सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालको को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा 1 में समानान्तर रूप से सीधे प्रवेश देते हैं। अतः ऐसे विद्यालयों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है :-

“ जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा के साथ-साथ कक्षा 1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे हैं, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर पृथक-पृथक कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालको को प्रवेश देना अनिवार्य होगा”।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/सी/निःशुल्क सत्यापन/18878/13-14/11 दिनांक:-20.1.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप-5)शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप-5)शासन सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का श्रम करावें।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर सत्र 2014-15 के लिये निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशों में उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).....को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर